निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1939 (श0)

(सं0 पटना 674) पटना, सोमवार, 31 जुलाई 2017

सं० **08/आरोप–01–179/2015–6945/सा0प्र0**
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

8 जून 2017

श्री श्याम किशोर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–966/99, 316 सी०/08, 142/11, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध ''इस्ट वेस्ट कॉरिडोर'' के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोपों पर निगरानी थाना कांड सं०–42/08, दिनांक 15.07.2008 दर्ज हुआ, जिसमें ये नामजद अभियुक्त बनाये गये। उक्त कांड में श्री प्रसाद दिनांक 15.07.2008 को गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गये। इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8984, दिनांक 14.08.2008 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। श्री प्रसाद ने अपनी गिरफ्तारी/कारावास के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया जिसमें दिनांक 22.11.2008 को पारित आदेश के आलोक में ये कारामुक्त होकर दिनांक 28.11.2008 को विभाग में योगदान किये। मामले को संवेदनशीलता के आलोक में विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4508. दिनांक 19.05.2009 द्वारा इन्हें पुनः निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। कालान्तर में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1352, दिनांक 10.02.2010 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन मुक्त किया गया।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी बनाया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–371, दिनांक 29.07.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद के लिखित अभिकथन की समीक्षा में पाया गया कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के रूप में आरोपित पदाधिकारी ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान के क्रम में भूमि के मूल्यांकन में अनियमितता बरती तथा गलत तरीके से भूमि का स्वरूप प्रतिवेदित कर मनमाने ढ़ग से मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी की। आरोपित पदाधिकारी ने एक ही स्थल पर एक साथ संलग्न तीन–चार भू–खंड में मनमाने ढंग से कुछ भूमि को व्यावसायिक तथा कुछ को एक फसला अथवा दो फसला माना। जो अनियमित एवं अनुचित था। उनके इस कृत्य से सरकार को राजस्व की क्षति हुई।

संचालन पदाधिकारी ने भी यह मंतव्य प्रतिवेदित किया है कि श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप सिद्ध होते है। निगरानी विभाग ने भी उक्त कांड सं०–42/2008 में संबंधित निगरानी न्यायालय में आरोप पत्र सं०–62/08 दायर किये जाने की सूचना दी है। इस परिप्रेक्ष्य में जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। सम्यक् विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14105 दिनांक 17.10.

2016 द्वारा श्री प्रसाद को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43 (बी०) के तहत निम्नलिखित दंड संसूचित किया गयाः–

(क) पेंशन से 50 प्रतिशत की स्थायी कटौती।

(ख) निलंबन अवधि के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा

3. उक्त क्रम में विभागीय पत्रांक 14424 दिनांक 24.10.2016 श्री प्रसाद से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) के तहत निलंबन अवधि के विनियमन के विषय पर स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री प्रसाद से दिनांक 17.03.2017 को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। श्री प्रसाद ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया था । उनके पास कोई रिश्वत की राशि प्राप्त नहीं हुआ था । भू–अर्जन का कार्य भूमि एवं भवन से संबंधित था । निगरानी विभाग ने राजस्व पदाधिकारी एवं अभियंता से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया । उन्होंने कहा है कि किसी भी रैयत को उकसाने अथवा आश्वासन देकर आवेदन प्राप्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी और न कोई व्यक्तिगत लाभ लिया गया था । आरोप–पत्र गठित करते समय उनके द्वारा किये गये मूल्यांकन का सत्यापन नहीं किया गया । उन्होंने भवन का मूल्यांकन कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता से कराया था । उनके विरूद्ध गठित आरोप–पत्र साक्ष्यविहीन है ।

4. प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रसाद अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट नहीं कर सके कि भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन करने के लिए समेकित रूप से निर्णय लेने के बजाय कतिपय भू–धारियों का आवेदन प्राप्त कर क्यों विचार किया । भूमि पर स्थित संरचना के मूल्यांकन में भी आवेदन प्राप्त कर पुनर्मूल्यांकन कराने का तर्क क्या था । भूमि का स्वरूप परिवर्तित करने की कार्रवाई एवं संरचनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर मुआवजा वृद्धि करने की कार्रवाई पारदर्शी नहीं थी । संरचना का मूल्यांकन अगर पूर्व में गलत हुआ था तो दोषी अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई नहीं कर कृषकों से आवेदन प्राप्त कर पुनर्मूल्यांकन कराने का औचित्य अपने स्पष्टीकरण में श्री प्रसाद सिद्ध नहीं कर सके हैं । मुआवजे में भूमि का वर्गीकरण बदलकर एवं संरचनाओं का पुनर्मूल्यांकन कराकर मुआवजे राशि में जो वृद्धि की गयी उस पर श्री प्रसाद ने कोई ठोस तर्क या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

5. अतः श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिससे निलंबन का औचित्य सिद्ध होता है। वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री श्याम किशोर प्रसाद, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक–142/11, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के निलंबन अवधि दिनांक 15.07.2008 से 27.11.2008 एवं दिनांक 19.05.2009 से 10.02.2010 तक की अवधि को निम्न रूपेण विनियमित किया जाता हैः–

''निलंबन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी अनुमान्य नहीं होगा, परन्तु पेंशन प्रयोजन के लिए निलंबन की अवधि को सेवा अवधि मानी जायेगी''।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)674-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in